

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—40 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रमेश मिश्रा पुत्र दुर्गा प्रसाद नि० कोड़री बलमत्थर थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—233/20, 02. हरिशंकर पुत्र अलगू नि० उदमगंज थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—234/20, 03. दयाल पुत्र राम नरेश कश्यप नि० तरई पुरवा मौजा वसंतपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—235/20, 04. रामदास पासी पुत्र हरि राम पासी नि० खाले पुरवा इकनिया थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—237/20, 05. नन्दन पुत्र घणौली नि० धनावा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—238/20, 06. राकेश कुमार कश्यप पुत्र स्व० श्याम लाल कश्यप नि० नैय पुरवा मौजा बसंतपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—239/20, 07. सोनू पुत्र स्व० बुधई नि० पचई पुरवा मौजा बसंतपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—240/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रति राम राजभर पुत्र मनु नि० परास खास मौजा पूरे मुसद्दी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—258/20, 02. राधेश्याम पुत्र बेकारू नि० रामूडीह दक्षिणी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—259/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ओम प्रकाश निषाद पुत्र मोती लाल, 02. जय प्रकाश पुत्र मोतीगंज लाल निषाद, 03. संजय निषाद पुत्र महंगू निषाद उर्फ किसन देव निषाद, 04. राजू निषाद पुत्र बहादुर केवट, 05. बहादुर केवट पुत्र ननहकू केवट नि० ग्राम केवटहिया तुलसीपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 150 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—361/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पंचम पुत्र झिन्नू नि० चोंदपुर दुर्गा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 25 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—304/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ननकऊ पाण्डेय पुत्र संजय पाण्डेय नि० चन्दवतपुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—199/20, धारा 60 आबाकरी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही—

थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

गोण्डा। जनपद गोण्डा के थाना खोड़ारे पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान 02 अभियुक्तों—01. हीरालाल पुत्र राम उजागिर उर्फ नन्के नि0 सबना थाना खोड़ारे, 02. अवधेश मौर्या पुत्र कल्लू मौर्या नि0 फतेहपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को 01—01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना खोड़ारे में मु0अ0सं0—214/20, 215/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

गोण्डा। जनपद गोण्डा के थाना वजीरगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त गम्मन लाल पुत्र अंगनू दास नि0 कोठा भीतरी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज में मु0अ0सं0—247/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

गोण्डा। जनपद गोण्डा के थाना मनकापुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त पंचम पुत्र झिन्नू नि0 चोंदपुर दुर्गा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मनकापुर में मु0अ0सं0—304/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना कटराबाजार ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. प्रीतम पुत्र राम चन्दर नि0 डलई पुरवा मौजा असरना थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—198/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 01./02.09.2020 की रात्रि थाना कटराबाजार के उ0नि0 सत्यनरायण मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि धोबिन नहर पुलिया के पास उक्त अभियुक्त को संदिग्ध दिखने पर रोक टोककर चेक किया गया तो अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता —

01. उ0नि0 सत्यनरायण।

02. का0 सर्वेश यादव।

थाना कौड़िया ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. माजिद अली पुत्र मुस्तफा नि0 झौहना पूर्वी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—147/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 01/02.09.2020 की रात्रि थाना कौड़िया के आ0 अरूण यादव मय हमराह आरक्षी आदित्य राय के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को केरवाघाट से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता —

01. का0 अरूण यादव।
02. का0 आदित्य राय।